आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

14.6.18

आदेश

अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, रमना द्वारा नामांतरण वाद संख्या 53/2012–13 में दिनांक 11.082012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन–पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है। जिसके लिए धारा 5 के तहत् विलम्ब दूर करने हेतु आवेदन–पत्र देकर अपील आवेदन–पत्र को स्वीकार करने हेतु अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। विलम्ब को दूर करते हुए अपील आवेदन–पत्र स्वीकृत किया जाता है। संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, रमना से मूल अभिलेख भी मांग की गई।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किये एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम– कोरगा के खाता संख्या 31 प्लॉट 598 रकबा 1.21 डी0 भूमि प्रत्यार्थी के द्वारा गलत ढ़ंग से नामांतरण कराया है। जबकि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के ससुर रामख्याल सिंह की भूमि है जिनकी वंशावली इस प्रकार है :–

स्व० रामख्याल सिंह स्व० बंकटेश्वर सिंह स्व० सरयू सिंह स्व० बिष्णु सिंह

स्व० कमल किशोर सिंह नीलम देवी अगमनी देवी कंचल देवी मनोरमा देवी दीपक किशोर सिंह

शशिबाला देवी (पत्नी)

प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के ससुर के मरनोपरान्त उनके पति के दखल–कब्जा में था। पति के देहान्त के बाद अपीलार्थी के दखल–कब्जा में है। प्रत्यार्थी के द्वारा वैसे व्यक्ति से केवाला कराकर अंचल अधिकारी, रमना को मेल में लेकर नामांतरण करा लिया है। अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा नाभांतरण स्वीकृत के पूर्व न तो किसी फरीक को नोटिस निर्गत किया और न स्थल का निरीक्षण हीं किया। अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा विना जाँच–पड़ताल के हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण की स्वीकृति दे दी गई। जो न्याय संगत नहीं हैं। जबकि प्रश्नगत भूमि के साथ अन्य भूमि पर बंटवारा वाद सिविल कोर्ट में दायर किया गया। जिसका वाद संख्या 36/2000 है। वादी मनोरमा देवी का आवेदन–पत्र को अस्वीकृति कर दिया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, रमना द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन–पत्र स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन मे निम्नांकित कागजात दाखिल किये है।

1. दान–पत्र केवाला की धायाप्रति — 7 पन्ना
2. M. Roll की धायाप्रति — 2 पन्ना
3. धारा 144 द.प्र.स. का आदेश की धायाप्रति — 4 पन्ना

प्रत्यार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा गलत तथ्य लाकर अपील दायर किए है। जो चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थी का अपील आवेदन–पत्र समय सीमा के अन्दर दायर नहीं किया गया है। अंचल अधिकरी, रमना के द्वारा जाँचोंपरान्त नामांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई है।

कृ०पृ०उ०

प्रत्यार्थी के द्वारा अन्य हिस्सेदार के वारीसान से वजापते निबंधित दस्तावेज से उचित मूल्य देकर क्रय किया है। जिसका अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी गई है। जिसका लगान रसीद आज भी प्रत्यार्थी के नाम से कटता है। प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यार्थी के दखल–कब्जा है। अपीलार्थी के हिस्से में बिक्री की गई भूमि कभी था हीं नहीं। अपीलार्थी जानबुझ कर परेशान करने हेतु अपील दायर किये है, जिसे अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, रमना का आदेश यथावत बहाल रखा जाए प्रत्यार्थी अपने दावे के समर्थन में केवाला एवं लगान रसीद की धायाप्रति दाखिल किए है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सूना। उभय पक्षों के तर्को एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अंचल रमना के नामांतरण वाद 53/2012–13 के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि के वंशगत रैयत रामख्याल सिंह, बंटेश्वर सिंह, सरयू प्रसाद सिंह एवं विष्णु प्रसाद सिंह, पिता हितनारायण सिंह, वो जयवास कुंवर, ग्राम–कोरगा को भी नोटिस निर्गत करना चाहिए था परन्तु किसी भी फरीक को नोटिस एवं हस्तेहार तामिला नहीं कराया गया।

अतः नामांतरण वाद संख्या 53/2012–13 में दिनांक 11.08.2012 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित/संशोधित

14/6/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
नगर उंटारी।

14/6/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
नगर उंटारी।